



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 26.03.2024

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ 01 नफर टॉप-10 शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26 मार्च 2024 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग / के दौरान 01 अदद अवैध देशी तमंचा (315 बोर) व 01 जिन्दा कारतूस (315 बोर) के साथ अभियुक्त 1. रामाधार उर्फ धारे पुत्र स्व० सीताराम उम्र करीब 42 वर्ष नि०ग्राम त्रिकोलिया थाना ईसानगर जनपद लखीमपुर खीरी को जिसके विरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा तीन अदद स्थायी वारण्ट St. N- 1044/2014 अ०स० 1024/2009 धारा 380,411,413 भादवि०, St. N.-1043/2014 अ०स०- 1025/2009 धारा 380,411,413 भादवि० व St. N.-1045/2014 अ०स०-1065/2009 धारा 147,148,149,307 भादवि० थाना ईसानगर खीरी निर्गत किया गया है जिसे जोगी बाबा मंदिर के आगे तिराहा से आज दिनांक 26.03.2024 को मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना पर गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 118/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

रामाधार उर्फ धारे पुत्र स्व० सीताराम उम्र करीब 42 वर्ष नि०ग्राम त्रिकोलिया थाना ईसानगर जनपद लखीमपुर खीरी ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 312/2004 धारा 457/380 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 1024/2009 धारा 380/411/413 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 1025/2009 धारा 380/411/413 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 1065/2009 धारा 147/148/149/307 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 1373/2009 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 946/11 धारा 307 भादवि0 थाना धौरहरा जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 446/2012 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 246/2013 धारा 379/511 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 263/2013 धारा 457/380 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 489/2014 धारा 307/401 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 490/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 491/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0-952/2014 धारा-147/148/452/392/376/506 भादवि0 थाना ईसानगर जिला खीरी ।
मु0अ0सं0- 286/2016 धारा 380/411 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 395/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 127/2017 धारा 394/411 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 211/2017 धारा 382/411 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 284/2017 धारा 401 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 286/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0-361/2017 धारा 2/3 यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 047/2019 धारा 380/411 भादवि0 थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 74/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 589//2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।
मु0अ0सं0- 118/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ईसानगर जनपद खीरी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 श्री अबलीश कुमार थाना ईसानगर जनपद खीरी ।
का0 अक्षय राणा थाना ईसानगर जनपद खीरी ।
का0 दिशांशू चौहान थाना ईसानगर जनपद खीरी।
का0 जितेन्द्र कुमार थाना ईसानगर जिला खीरी।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1-कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 237/24 धारा 323/324/504/506/307 भादवि में वांछित अभियुक्त देशराज पुत्र स्व0 रामपाल नि0 सलेमपुर कोन थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 170 लीटर अवैध शराब बरामद कर 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **170 लीटर अवैध शराब** बरामद कर **12 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **12 अभियोग** पंजीकृत किए गए।